



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

अस्थायी अग्रिम भुगतान वाउचर के लिए माँग-पत्र  
**REQUISITION FOR TEMPORARY ADVANCE PAYMENT VOUCHER**

दिनांक .....  
Date.....

सेवा में, / To,  
वित्त अधिकारी, /The Finance Officer,  
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
Central University of Gujarat

वाउचर क्रमांक.....  
दिनांक.....  
Voucher  
No.....Date.....  
(वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा भरा जाएगा)  
(To the filled by (F&A Dept.)

नाम....., पिता का नाम....., जन्मतिथि.....,  
आधार संख्या....., पैन....., मोबाइल नंबर....., ईमेल  
आईडी....., पूरा पता..... (पीएफएमएस  
और केवल व्यक्तिगत आवेदक के मामले के प्रयोजन हेतु)

Name....., Father's Name....., Date of  
Birth....., Aadhaar No....., PAN.....,  
Mobile No....., Email Id....., Complete  
Address..... (for the purpose of PFMS and in case of  
individual applicant only)

विभाग/संस्थान/केंद्र ..... बजट शीर्ष....., वित्तीय वर्ष 20...-20... के  
लिए आवंटित बजट.....रूपये, अब तक किया गया व्यय ..... रूपये, उपलब्ध  
शेष ..... रूपये

Department/School/Centre....., Budget Head.....,  
Budget Allocated for the Financial Year 20...-20.....Rs....., Expenditure  
incurred so far Rs....., Balance Available Rs.....

क्र.सं. Sr.No.	मद की व्यापक विशिष्टताएँ* Item(s) Comprehensive Specifications*	आवश्यक मात्रा Quantity Required	अनुमानित लागत Estimated Cost	अतिरिक्त जानकारी Additional Information

विभाग/केन्द्र द्वारा बनाए गए अस्थायी अग्रिम रजिस्टर में पृष्ठ संख्या..... पर क्रमांक ..... और  
दिनांक..... पर एक टिपणी की गई है।

A note has been kept in the Temporary Advance Register maintained by Department/Centre  
at page no.....Sr. No.....Date.....

उपरोक्त खंड में दिए गए विवरण के अनुसार व्यय करने के लिए इस विभाग को .....  
(रूपये..... मात्र) की राशि वितरित  
की जा सकती है। इस व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक..... को आदेश संख्या .....  
के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया गया है।



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

A Sum of Rs.....(Rupees .....  
.....Only) may be disbursed to this department for incurring the expenditure  
as per the particulars given in the above section. For incurring this expenditure, approval has been  
accorded by Competent Authority vide Order No..... dated .....

(i) जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है। Purpose for which the advance is required.	
(ii) खरीद आदि के मामले में पूर्ण स्पष्टीकरण अर्थात्, जहाँ भी लागू हो, मंजूरी/अनुमोदन की एक प्रति भेजी जानी चाहिए। Full justification in case of purchase etc. i.e., a copy of the sanction/approval should be sent, wherever applicable.	
(ii) आवेदक के प्रति निपटान के लिए लंबित पिछले अग्रिम का विवरण, यदि कोई हो। Detail of previous advance pending for settlement against the applicant, if any.	

राशि प्रेषित किए जाने वाले बैंक का विवरण:

**Bank details in where the amount required to be remitted:**

खाताधारक का नाम....., बैंक का नाम..... खाता संख्या....., आईएफएससी कोड....., शाखा का पता.....

**Name of Account holder....., Bank Name.....Account No....., IFSC Code....., Branch Address.....**

द्वारा प्रमाणित:

आवेदक के हस्ताक्षर.....

Attested by:

Signature of the applicant.....

विभागाध्यक्ष का नाम:

नाम.....

Name of Head of the Department:

Name:.....

पदनाम.....

Designation;.....

हस्ताक्षर: .....

Signature: .....



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

(वित्त एवं लेखा विभाग के लिए)  
**(FOR FINANCE & ACCOUNTS DEPARTMENT)**

ऊपर उल्लिखित विवरण सत्यापित किए गए हैं। .....रूपये (रुपये .....  
मात्र) के अग्रिम भुगतान को अग्रिम मद संख्या..... के टीएआर में पृष्ठ संख्या ..... पर दर्ज किया  
गया।

Particulars mentioned above have been verified. An advance of Rs..... (Rupees  
.....Only) has been entered in the TAR of advance item No.....  
on page no.....

नामे (डेबिट) शीर्षः	टिप्पणी, यदि कोई हो
Debit Head:	Remark, If
खाता संख्या .....	any.....
Account No.....	.....
के संदर्भ में चेक संख्या .....	.....
Vide Cheque No.....	.....
दिनांक Dated.....	.....

संबंधित सहायक  
Dealing Assistant

अनुभाग अधिकारी  
Section Officer

परामर्शदाता(वित्त एवं लेखा)  
Consultant (F&A)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी  
Drawing & Disbursing Officer

स.कु./उ.कु./वि.का. (वित्त एवं लेखा)  
AR/DR/OSD (F&A)

वित्त अधिकारी  
Finance Officer